राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक : मुसप्र/खुली बिक्री/2019/569 दिनांक :- 2/9/19

आदेश

आवासीय अभियन्ता, खण्ड–बाडमेर के अधीन आवासीय योजना, जैसलमेर का 1 एवं आवासीय योजना, फलौदी के 22 विभिन्न आय वर्ग के कुल 23 स्वतन्त्र आवासों को मण्डल मुख्यालय के कार्यालय आदेश क्रमांक 331 दिनांक 10.07.19 की पालना एवं अतिरिक्त मुख्य अभियंता–द्वितीय, जोधपुर तथा मुख्य अभियंता–द्वितीय द्वारा की गई अनुशंषा के आधार पर खुली बिक्री योजना के माध्यम से नकद भुगतान पद्धति में निस्तारण की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है। निस्तारण किये जाने वाले 23 स्वतन्त्र आवासों का विवरण निम्न प्रकार है:–

क्र.सं.	योजना का नाम	आय वर्ग	आवासों की संख्या	कुल
1.	आवासीय योजना, जैसलमेर	मध्यम आय वर्ग–अ	एन–20	1
2.	आवासीय योजना, फलौदी	आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग	1–क्यू–19, 3–बी–99, 3–ए–70, 3–बी–52, 3–बी–87, 1–पी–13, 2–एन–23,	7
3.	आवासीय योजना, फलौदी	अल्प आय वर्ग	1–ई–05, 2–एच–24, 3–ए–93, 3–ए–99, 3–ए–106, 3–बी–09, 4–ए–88,	7
4.	आवासीय योजना, फलौदी	मध्यम आय वर्ग–अ	3–बी–32, 4–ए–15, 4–ए–23, 2–डी–11,	4
5.	आवासीय योजना, फलौदी	मध्यम आय वर्ग–ब	3–ए–10, 4–ए–94, 1–ए–18	3
6.	आवासीय योजना, फलौदी	उच्च आय वर्ग	2–डी–12,	1
			कुल योग	23

संबंधित उप आवासन आयुक्त एवं अतिरिक्त मुख्य अभियंता, जोधपुर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त आवासों को खुली बिक्री योजना के माध्यम से नकद भुगतान पद्धति में निस्तारण हेतु जारी आदेश क्रमांक मुसप्र/2017/1191 दिनांक 27.03.2017 में उल्लेखित निम्नलिखित शर्तो की पालना सुनिश्चित करें :–

1. फ्लेटों (आवासों) आवंटन हेतु कोई भी पंजीकृत आवेदक लम्बित नहीं है।
2. उक्त फ्लेटों (आवासों) के अलावा स्कीम में कोई भी अन्य फ्लेट खुली बिकी योजना हेतु रिक्त नहीं है।
3. उक्त फ्लेटों (आवासों) का निस्तारण उचित प्रचार–प्रसार के माध्यम से किया जावें।
4. फ्लेटों (आवासों) का निस्तारण खुली बिकी योजना के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार से करने पर अधिक आय प्राप्त नहीं हो सकती यह सुनिश्चित कर ही निस्तारण करें।
5. प्रस्तावित फ्लेटों (आवासो) में किसी भी प्रकार का विवाद/न्यायिक विवाद लम्बित नहीं है, एवं विधिवत निरस्त किये गये है साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि निस्तारण हेतु प्रस्तावित फ्लेटों बाबत किसी न्यायिक प्राधिकरण के समक्ष इनमें से कोई भी आवास किसी प्रकार से आरक्षित रखने बाबत कोई आश्वासन/शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है।

उक्त आदेश को माननीय आवासन आयुक्त महोदय का पैरा सं. 15/एन पर अनुमोदन प्राप्त है।

मुख्य सम्पदा प्रबंधक

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ :–

1. निजी सचिव–अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव–सचिव/वितीय सलाहकार/निदेशक विधि, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता–द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता–द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर।
5. अति0 निजी सचिव–मुख्य सम्पदा प्रबंधक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6 उप आवासन आयुक्त, रा0 आ0म0 ,वृत–द्वितीय, जोधपुर।
7. आवासीय अभियन्ता खण्ड–बाडमेर, रा0आ0म0, बाडमेर।
8. सयुक्त एनाालिस्ट (निदेशक), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाईट पर डलवायें व सभी संबंधित उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता को मेल करें।
9. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु0), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
10 रक्षित पत्रावली।

मुख्य सम्पदा प्रंबधक